

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

सं०सं०- ग्रा०वि०-14(विविध)न्याय-07/2015

अधिसूचना

एस०ओ० नं०:- 298341 / पटना, दिनांक:- 27 जनवरी, 2017 ई०

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या- 19529/2011 सदानंद यादव बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा अन्य बैच वादों में पारित आदेश के अनुपालन हेतु राज्य सरकार के द्वारा जाँच अधिनियम 1952 (सं०- 60, 1952) की धारा 3(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में वर्ष 2002 से 2006 की अवधि में कार्यान्वित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के समापन के उपरांत अवशेष खाद्यान्न की क्षति के लिए उत्तरदायित्व के निर्धारण एवं उसके समतुल्य राशि की वसूली हेतु एक न्यायिक जाँच आयोग का गठन अधिसूचना सं०- 258459 दिनांक- 18 जनवरी 2016 द्वारा किया गया। इस जाँच आयोग के कार्यकाल को छः माह की स्वीकृति पूर्व में सरकार के द्वारा दी गयी थी एवं अधिसूचना सं०- 278503 दिनांक- 18.07.2016 के द्वारा इसके कार्यकाल को छः महीने के लिए बढ़ाया गया था, जो कि दिनांक- 17.01.2017 को समाप्त हो गया है।

आयोग के अनुरोध पर बिहार के राज्यपाल आयोग के कार्यकाल को छः माह यथा 18.01.2017 से 17.07.2017 तक विस्तारित करते हैं।

अधिसूचना सं०- 258459 दिनांक- 18 जनवरी 2016 एवं 278503 दिनांक- 18 जुलाई 2016 के शेष अंश यथावत् रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(राधा किशोर झा)

अपर सचिव।

एस०ओ० नं०:- _____ / पटना, दिनांक:- जनवरी, 2017 ई०


का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार के राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के खंड (3) के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

जापांक:- 298341 /

पटना, दिनांक:- 27 जनवरी, 2017 ई0

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को ई-गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि प्रकाशित सूचना की 100 (एक सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ ग्रामीण विकास विभाग को शीघ्र भिजवाने की कृपा की जाय।


अपर सचिव।

जापांक:- 298341 /

पटना, दिनांक:- 27 जनवरी, 2017 ई0


प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, न्यायमूर्ति उदय सिन्हा न्यायिक जाँच आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव।

जापांक:- 298341 /

पटना, दिनांक:- 27 जनवरी, 2017 ई0

प्रतिलिपि:- श्री संजय कुमार सिंह, सदस्य, न्यायमूर्ति उदय सिन्हा न्यायिक जाँच आयोग, पटना / श्री अरुण कुमार सिंह, सदस्य, न्यायमूर्ति उदय सिन्हा न्यायिक जाँच आयोग, पटना / श्री शशिभूषण वर्मा, सचिव, न्यायमूर्ति उदय सिन्हा न्यायिक जाँच आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव।

जापांक:- 298341 /

पटना, दिनांक:- 27 जनवरी, 2017 ई0


प्रतिलिपि:- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव।

जापांक:- 298341 /

पटना, दिनांक:- 27 जनवरी, 2017 ई0


प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव।

जापांक:- 298341 /

पटना, दिनांक:- 27 जनवरी, 2017 ई0

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव।